



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

Employees' Provident Fund Organisation

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

(क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, Regional Office, Patna)

भविष्य निधि भवन/Bhavishyanidhi Bhawan

आर0 ब्लॉक, रोड नं0-6, पटना-800 001/R, Block,Road No - 6,Patna - 800 001

दूरभाष Phone no: 0612 - 2227139, 2227410, ईमेल E-mail : ro.patna@epfindia.gov.in



निविदा सूचना

किराए पर कार्यालय भवन हेतु

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिला कार्यालय, गया के कार्यालय, को 2000 वर्ग कुर्सी क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) का भवन की आवश्यकता है । प्रस्तावित भवन गया शहर के मुख्य इलाके से सुविधाजनक पहुँच में होना चाहिए । भवन सभी सरकारी मानकों के अनुरूप होना चाहिए । भवन स्वामी/ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी0पी0डब्ल्यू0डी) द्वारा मान्य दरों पर भवन देने को इच्छुक हों । विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र में देखें ।

इच्छुक भवन स्वामी निविदा पत्र रू0 500/- देकर किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं । निविदा पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23/10/2017 (संध्या 5.00 बजे तक) व प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27/10/2017 (5.00 सांय) हैं । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को यह अधिकार होगा कि वह सभी/कोई भी निविदा बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं ।

कृपया विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर उपलब्ध हैं ।

(मनीष मणि)

सहायक भविष्य निधि आयुक्त(प्रशासन)

बिहार,पटना

उपबंध एवं शर्तें

- 1) प्रस्ताव, बोली खुलने की तिथि से छः माह तक के लिए मान्य होगा ।
- 2) भवन तत्काल उपयोग में लाने के लिए तैयार होना चाहिए ।
- 3) परिसर डेहरी ऑन सोन, जिला रोहतास रेलवे/बस स्टैंड के नजदीक होनी चाहिए ।
- 4) परिसर किराये पर लेने के प्रस्ताव का स्थान पर जाकर जाँच पड़ताल किया जायेगा कि, क्या प्रस्ताव तकनीकी ब्यौरे का अनुपालन करता है अथवा नहीं ।
- 5) न्यूनतम दर एवं तकनीकी रूप से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार्य होंगे ।
- 6) प्रस्ताव के साथ भवन की पूर्णता/दखल का स्थानीय निकाय अनापत्ति प्रमाण तथा ऋण भार मुक्ति प्रमाण पत्र मालिक के पास होना चाहिए एवं इसकी एक सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न होनी चाहिए ।
- 7) भवन कानूनी रूप से सभी ऋण भारों से मुक्त होना चाहिए
- 8) प्रस्ताव के साथ भवन की मूल योजना भी संलग्न किया जाना चाहिए ।
- 9) मकान मालिक को यथेष्ट पार्किंग स्थान की व्यवस्था करनी होगी ।
- 10) मालिक को प्रषाधन/शौचालयों की व्यवस्था करनी होगी ।
- 11) मकान मालिक को पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करनी होगी
- 12) मालिक को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है कि वह लीज डीड के पंजीयन का शुल्क वहन करने को तैयार है ।
- 13) मालिक को क0 भ0 नि0 सं0 के लीज डीड के मानक प्रारूप के अनुसार लीज डीड का निष्पादन करने के लिए तैयार होना चाहिए (संदर्भ के लिए इसकी एक प्रति कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं) ।
- 14) लीज अनुबंध न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसे सहमति के आधार पर 05 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद 15 प्रतिशत किराया दर बढ़ाकर अगले 05 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है ।
- 15) क्षेत्रीय भ0 नि0 आयुक्त, बिहार, पटना को बिना कोई कारण बताये सभी/किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार है ।
- 16) निविदा दस्तावेज के सभी कागजातों पर मालिक को यह समझकर हस्ताक्षर करना है कि सभी उपबंधों और शर्तों को उन्होंने समझ लिया है ।

17) निविदा प्रपत्र में उल्लिखित सभी विवरण और दस्तावेज अवश्य ही जमा किये जायें । अधूरे विवरण/दस्तावेज के साथ प्रस्तुत निविदा प्रपत्र को निरस्त किया जा सकता है । यद्यपि कि किराया कमिटी बोलीकर्ता को बचे हुये विवरण/दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत के लिए एक अवसर दे सकती है । आवश्यकता पड़ने पर किराया कमिटी बोलीकर्ता से अन्य कोई भी विवरण/दस्तावेज की मांग कर सकती है । निविदा प्रपत्र जमा करने के पूर्व मालिक स्वयं में जमा किये विवरण/दस्तावेज के सही एवं वास्तविक प्रस्तुत करने से निविदा को अवैध घोषित किया जा सकता है ।